

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 256/2022

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

1. प्रदीप कुमार पुत्र स्व. श्री पीरदान जाति मेघवंशी निवासी नगराना तहसील संगरिया।

बनाम

1. अनन्तराम पुत्र श्री दीपारमा जाति मेघवंशी निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी।
2. धर्मपाल पुत्र स्व.श्री साहबराम जाति मेघवंशी निवासी नगराना तहसील संगरिया।
3. प्रवीणा कुमार पत्नी श्री राजकुमार जाति मेघवंशी निवासी नगराना तहसील संगरिया।
4. रूकमादेवी पत्नी स्व.श्री साहबराम जाति मेघवंशी निवासी नगराना तहसील संगरिया।
5. राजू पुत्र स्व. श्री काशीराम जाति मेघवंशी निवासी नगराना तहसील संगरिया।
6. सुनील कुमार पुत्र स्व. श्री साहबराम जाति मेघवंशी निवासी नगराना तहसील संगरिया।
7. श्रीबलदर राजस्व संगरिया
8. रामकुमार पुत्र श्री मुखराम जाति मेघवंशी निवासी नगराना तहसील संगरिया।
9. प्रवल्दर पुत्र स्व.श्री मुखराम जाति मेघवंशी निवासी नगराना तहसील संगरिया।
10. श्रीवीर कुमार पुत्र श्री बीरबलराम जाति मेघवंशी निवासी नगराना तहसील संगरिया।
11. श्रीचन्द पुत्र स्व.श्री बीरबलराम जाति मेघवंशी निवासी नगराना तहसील संगरिया।
12. चावली देवी पत्नी श्री काशीराम जाति मेघवंशी निवासी नगराना तहसील संगरिया।
- 12/1 विध्यादेवी पुत्री स्व. श्रीमति चावली देवी पत्नी श्री काशीराम जाति मेघवंशी नि.नगराना तह.संगरिया।
- 12/2 कमला देवी पुत्री स्व. श्रीमति चावली देवी पत्नी श्री काशीराम जाति मेघवंशी नि.नगराना तह.संगरिया।
- 12/3 मायादेवी पुत्री स्व. श्रीमति चावली देवी पत्नी श्री काशीराम जाति मेघवंशी नि.नगराना तह.संगरिया।
- 12/4 साहबराम पुत्र स्व. श्रीमति चावली देवी पत्नी श्री काशीराम जाति मेघवंशी नि.नगराना तह.संगरिया।
- 12/4/1 सुमित्रा पुत्री स्व. श्री साहबराम पुत्र स्व. श्रीमति चावली देवी पत्नी श्री काशीराम जाति मेघवंशी नि.नगराना तह.संगरिया।
- 12/4/2 कविता पुत्री स्व. साहबराम पुत्र स्व. श्रीमति चावली देवी पत्नी श्री काशीराम जाति मेघवंशी नि.नगराना तह.संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 11.9.2022

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई
रुबरु हमारे बहाजरी श्री सुनील टाण्डी वकील वादी मिन जाभिन मुदई श्री मिन जाभिन मुदायला पेश
होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री
निम्नानुसार दी जाती है:-

14
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नाम काशतकार मय काशतकार एवं संकनात	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा
1. अनन्तराम पुत्र दीपाराम 1.126 हि. मेघवाल जाति	प.म नगराना के चक 13 एसबीएन के खाता सं. 137 खाते का योग 4. 681 हैक. (विवादित श्रेणी का है)	1 रणवीर, श्रीचंद पि. बीरबलराम जाति मेघवाल साकिन नगराना	प.न. 172/209 मु.न. 36, कि.न. 3/0.253, 8/0.253, 18/0.253, 23/1/0.215, 23/2/0.038 गै.मु.रास्ता कुल 1.012 है. मय गै.मु.
2. निवासी सालीवाला चावलीदेवी पत्नी काशीराम 0.168 हि. 3. धर्मपाल 0.612 हि. 4. सुनील कुमार 0. 612 हि.पि. साहबराम 5. रूकमा देवी पत्नी साहबराम 0.334 हि. 6. प्रदीप कुमार पुत्र पीरदान 1.126 हि. 7. राजू पुत्र काशीराम 0. 002 हि. जाति मेघवाल निवासी नगराना 8 प्रवीना कुमारी पत्नी राजकुमार 1.001 हि. जाति मेघवाल निवासी गाहडू हनुमानगढ		अनन्तराम पुत्र दीपाराम जाति मेघवाल साकिन सालीवाला	प.न. 172/209 मु.न. 36, कि.न. 9/0.238 मिन. 9/0.015 मिन प्रस्तावित रास्ता, 12/0 238 मिन, 12/0.015 मिन प्रस्तावित रास्ता, 13/0.238 मिन, 13/0.015 मिन प्रस्तावित रास्ता, 19/0.238 मिन, 19/0.015 मिन प्रस्तावित रास्ता, 22/1/0.0925 मिन, 22/1/0.015 मिन प्रस्तावित रास्ता, 22/2/0.019 मिन गै.मु. रास्ता, कुल 1.1385 है. मय गै.मु.
		धर्मपाल, सुनील पि. साहबराम, रूकमादेवी पत्नी साहबराम जाति मेघवाल, साकिन नगराना	प.न. 172/208, मु.न. 29, 21/0.253, 22/1/0.126, प.न. 172/209, मु.न. 36, 01/0.253, 02/0. 253, 10/0.253, 22/1/3/0.1075, 22/2/2/0.019 (गै.मु. रास्ता) कुल-1.2645 है. मय गै.मु.
		रामकुमार, प्रहलाद पि. सुखराम बहिब जाति मेघवाल साकिन नगराना हि.	प.न. 172/210, मु.न. 41, कि.न. 2/1/0.228, 2/2/0.025(गै.मु. खाला), 3/1/0.228, 3/2/0.025 (गै.मु. खाला), 8/0.253, 13/1/0.127, 14/0.253 कुल-1.139 है. मय गै.मु.
		चावली पत्नी काशीराम (फौत) जाति मेघवाल निवासी नगराना कब्जा काशत वारिसान	प.न. 172/208, मु.न. 29, कि.न. 22/2/0. 127 कुल- 0.127 है.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंभा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/2090 दिनांक 06.06.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट :- तहसीलदार संगरिया ने अपने विभाजन प्रस्ताव में चावली पत्नी काशीराम को फौत होना तथा इनके वारिसानों का कब्जा काशत होना बताया है इसलिए तहसीलदार संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार चावली पत्नी काशीराम के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज........मुब्लिक........बाबत........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक........को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक. 11.9.2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया